न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 11/2022

राजस्थान सरकार जरिये अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री मुराद अली पुत्र श्री अजमाल, कमानी गेट, दरगाह शरीफ, दरगाह बाजार, अजमेर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः– श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 11.05.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.01.2022 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यवसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल कमानी गेट, दरगाह शरीफ, दरगाह बाजार, स्थित अप्रार्थी की व्यवसायिक दुकान की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग करना पाये जाने पर मौके से 01 गैस सिलेण्डर को कब्जेराज लिया गया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W. (KG)	G.W. (KG)	N.W.-GAS	TYPE
01	879445	IOC	15.7	17.7	2.0	Domestic Cylinder

कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। चूकि घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त 1 सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर चन्द्रायन गैस सर्विस, अजमेर के कार्मिक श्री अय्यूब खान पुत्र श्री कय्यूम खान, को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा 01 गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित आये, सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 28.01.2022 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 01 गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि कानून की जानकारी के अभाव में गलती हुई है। आइन्दा अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक सिलेण्डर का ही उपयोग किया जायेगा। अतः अज्ञानतावश हुई त्रुटि को क्षमा करते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र तथ्यो को स्वीकार किया गया है। वक्त जांच भी उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे, उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया 01 गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर